

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी (छत्तीसगढ़)

000 आदेश 000


कमॉक

4119

क/एस.डब्लू/2020

धमतरी दिनांक 29 मई 2020

कार्यालयीन आदेश कमॉक 3643क/एस डब्लू/2020 धमतरी दिनांक 8 मई 2020 में ऑशिक रूप से संशोधन करते हुए माह मई 2020 के शेष शनिवार एवं रविवार को पूर्ण लॉक डाउन को निरस्त किया जाता है। प्रतिष्ठानों के खोलने का समय प्रातः 07:00 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा। जिले में दुकानों के बंद करने के संबंध में गुमास्ता एक्ट के तहत प्रावधान लागू रहेंगे।



कलेक्टर
एवं जिला दंडाधिकारी
धमतरी

पृ.क.


4120

क/एस.डब्लू/2020

धमतरी दिनांक 29 मई 2020

प्रतिलिपि:

- 1 पुलिस अधीक्षक धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं अग्रेषित।
- 3 अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 अनुविभागीय दंडाधिकारी धमतरी/कुरुद/नगरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 उप संचालक जन संपर्क जिला धमतरी को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाए जाने हेतु अग्रेषित।
- 7 आयुक्त नगर पालिका निगम धमतरी सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 तहसीलदार धमतरी/कुरुद/नगरी/मगरलोड को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमतरी को सूचनार्थ एवं अग्रेषित।



कलेक्टर
एवं जिला दंडाधिकारी
धमतरी